

**बिहार विद्यालय परीक्षा समिति**

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 25/08/2026

विषय: इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने हेतु विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 (सत्र 2025-2027) में सम्मिलित होने के लिए नवसूचीकृत विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण कार्ड जारी करते हुए समिति के वेबसाइट <https://intermediate.biharboardonline.com> पर सभी कोटि के विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के लिए दिनांक 25.08.2026 से 16.09.2026 तक अवधि निर्धारित की गई है।

2. उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 168/2026 एवं पी०आर० 185/2026 के माध्यम से डमी सूचीकरण कार्ड जारी करते हुए उनमें परिलक्षित त्रुटियों के सुधार हेतु तथा डमी सूचीकरण कार्ड पर मुद्रित घोषणा पत्र को विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा स्वयं भी हस्ताक्षर कर समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। साथ ही इन विज्ञप्तियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया था कि :-

“इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 के लिए सूचीकृत/पंजीकृत वैसे विद्यार्थी जिनका अपना, माता/पिता/अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण/पंजीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा, उन्हें इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 एवं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा, 2027 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं तदनुसार उनका प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा।”

इस तरह इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 के लिए सूचीकृत वैसे विद्यार्थी जिनका हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उनका परीक्षा आवेदन नहीं भरा जाएगा।

3. उक्त निर्धारित अवधि (25.08.2026 से 16.09.2026) के तहत यह व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा परीक्षा आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क मात्र दिनांक 25.08.2026 से 15.09.2026 तक की अवधि में ही जमा किए जाएंगे तथा उनके द्वारा जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा कर दिया जाएगा, उनका परीक्षा आवेदन ऑनलाइन दिनांक 25.08.2026 से 16.09.2026 तक की अवधि में कभी भी भरा जाएगा।

3.1 किसी कारणवश शुल्क जमा करने के बावजूद किसी विद्यार्थी का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरना छूट जाता है, तो परीक्षा आवेदन हेतु शुल्क जमा करने के लिए निर्धारित तिथि 15.09.2026 के बाद अगले दिन अर्थात् दिनांक 16.09.2026 तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरा जा सकेगा। इस तरह वर्णित इस व्यवस्था से शिक्षण संस्थान के प्रधान को शुल्क जमा किये गये छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने हेतु अतिरिक्त एक दिन का अवसर मिलेगा।

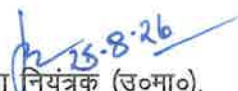
4. इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए दो प्रकार के आवेदन पत्र का प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जो निम्नवत है :-

- i. सत्र 2025-27 के लिए सूचीकृत नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों के लिए:- यह प्रपत्र दो खण्डों यथा खण्ड-A एवं खण्ड-B में है। खण्ड-A में क्रमांक 01 से 17 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो विद्यार्थी के सूचीकरण विवरणों के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई भी छेड़-छाड़/परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड-B में क्रमांक 18 से 35 तक के विवरणों को भरा जाना है।

- ii. सत्र 2025-27 के पूर्व के सत्रों के सूचीकृत एवं पात्र पूर्ववर्ती, कम्पार्टमेन्टल, समुन्नत एवं क्वालिफाईंग कोटि के विद्यार्थियों के लिए:- यह प्रपत्र एकीकृत (बिना खण्ड-A एवं खण्ड-B के) है, जिसका उपयोग पूर्व सत्रों के सूचीकृत उन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाना है, जो पूर्ववर्ती परीक्षार्थी, कम्पार्टमेन्टल परीक्षार्थी, समुन्नत परीक्षार्थी एवं क्वालिफाईंग परीक्षार्थी के रूप में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होना चाहते हैं।
5. उल्लेखनीय है कि केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा ही वैध विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाएगा एवं शुल्क जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थान की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गयी है, वैसे शिक्षण संस्थानों से परीक्षा आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।
6. अंगीभूत/डिग्री महाविद्यालयों के पूर्ववर्ती (Ex) कोटि के विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के संबंध में:-विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सत्र 2024-26 से राज्य के अंगीभूत/डिग्री महाविद्यालयों में इन्टरमीडिएट स्तर की पठन-पाठन/नामांकन समाप्त कर दिया गया है। फलतः ऐसे संस्थानों में इन्टरमीडिएट के सत्र 2024-26 से नामांकन नहीं हुआ है, किन्तु उक्त संस्थानों में नामांकित सत्र 2024-26 के पूर्व के सत्रों के पात्र विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन एवं निर्धारित शुल्क उन्ही अंगीभूत/डिग्री महाविद्यालयों के माध्यम से जमा किया जाएगा। अर्थात् अंगीभूत/डिग्री महाविद्यालयों के सूचीकृत पूर्ववर्ती (Ex) पात्र विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन एवं निर्धारित शुल्क संबंधित अंगीभूत/डिग्री महाविद्यालय द्वारा पूर्व में उन्हें प्रेषित यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर जमा किया जाएगा।
7. गत वर्ष की भाँति यह प्रावधान किया गया है कि जितने विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाएगा, उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रथमतः जमा किया जाएगा। इसके उपरान्त ही परीक्षा आवेदन स्वीकार किए जाएँगे।
8. इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने हेतु नियमित एवं स्वतंत्र कोटि (2025-27) के लिए सूचीकृत वैसे विद्यार्थी, जिनका डमी सूचीकरण कार्ड में त्रुटि सुधार तथा डमी सूचीकरण कार्ड पर मुद्रित घोषणा पत्र को विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा स्वयं भी हस्ताक्षर कर बार-बार दिए गए अवसर के बावजूद समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। उनका समिति के पोर्टल पर सूचीकरण कार्ड एवं ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने हेतु नाम दिखाई नहीं देगा।
9. उपर्युक्त आलोक में समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या-पी0आर0 193/2026 विस्तृत निदेश के साथ दिनांक 25.08.2026 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रसारित की जा चुकी है तथा इसकी प्रति आपके ई-मेल आईडी पर क्रमशः ज्ञापांक-BSEB(SS)/KEN/189/2025-775, दिनांक 24.08.2026 द्वारा प्रेषित है।
10. वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि विषयांकित कार्य हेतु समिति द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति तथा अनुदेश के आलोक में अपने जिलान्तर्गत अधीनस्थ सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान को अपने विद्यार्थियों के मूल सूचीकरण कार्ड डाउनलोड कर वितरण करने तथा शुल्क जमा करते हुए परीक्षा आवेदन भरने के लिए निदेशित करने की कृपा की जाए। साथ ही अंगीभूत/डिग्री महाविद्यालय में नामांकित सत्र 2024-2026 के पूर्व के सत्र के पात्र विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन एवं निर्धारित शुल्क उन्ही अंगीभूत/डिग्री महाविद्यालय के माध्यम से जमा किया जाएगा, के संबंध में विशेष रूप से जिलान्तर्गत अवस्थित अंगीभूत/डिग्री महाविद्यालयों को निदेशित करने की कृपा की जाए, ताकि अर्हता प्राप्त कोई विद्यार्थी परीक्षा आवेदन से वंचित न रहें। यह भी अनुरोध है कि विषयांकित कार्य हेतु निर्गत निदेश का भली-भाँति अध्ययन कर इसके अनुपालन हेतु इस पत्र की प्रति अधीनस्थ सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाए।

विश्वासभाजन


परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,

ज्ञापांक : BSEB(SS)/KEN/189/2025. 778.

पटना, दिनांक : 25. / 08. / 2026

प्रतिलिपि : 1. प्रोजेक्ट मैनेजर, M/S S.S.B Digital को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि वर्णित आलोक में निर्धारित किये गये समय के अनुसार उपर्युक्त कार्यों को सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन शिक्षण

संस्थान की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस लिया जा चुका है, वैसे शिक्षण संस्थान से कदापि परीक्षा आवेदन नहीं भरा जा सके, इसके लिए अनिवार्य रूप से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने वाले नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के वैसे विद्यार्थियों जिनका हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड है, उनका मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

2. शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, बिहार स्टेट टेक्सट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बुद्ध मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. प्रशाखा पदाधिकारी/कार्यवाह सहायक, कदाचार प्रशाखा (उ०मा०) को वर्णित आलोक में निदेशित किया जाता है कि कदाचार मामले के कारण चिन्हित वैसे परीक्षार्थी जिन्हें इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने के लिए वंचित किया गया है, अर्थात् जिनका परीक्षा आवेदन इस परीक्षा के लिए नहीं भरा जाना है, वैसे विद्यार्थियों की विवरणी सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में तैयार कर आईटी0 प्रशाखा (उ०मा०) को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए।
4. (i) उप निदेशक, आईटी0 (उ०मा०)/सिस्टम एनालिस्ट, आईटी0 (उ०मा०) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि वर्णित आलोक में अनिवार्य रूप से आवश्यक व्यवस्था कराते हुए इसका निरंतर अनुश्रवण की जाए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति एवं परीक्षा आवेदन भरने में असुविधा न हो। यह भी अनुरोध है कि जिन शिक्षण संस्थान की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गयी है, वैसे शिक्षण संस्थान की अद्यतन सूची निदेशक (शैक्षणिक) से प्राप्त कर इसके लिए आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि ऐसे शिक्षण संस्थान से विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन कदापि नहीं भरा जा सके।
(ii) निदेशानुसार इस पत्र को राज्य के सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालयों को ई-मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाए। इसकी सूचना शिक्षण संस्थान के प्रधान एवं संबधित विद्यार्थियों को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाए। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए। तदनुसार सभी आवश्यक कार्यवाई करते हुए जन संपर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।
(iii) यह भी अनुरोध है कि विद्यार्थी, उनके अभिभावक, मान्यता प्राप्त +2 स्तर के शिक्षण संस्थान के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं अन्य संबंधितों के जानकारी हेतु इस पत्र की प्रति समिति के वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रशासनिक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, भंडार (उ०मा०) एवं वित्त पदाधिकारी तथा मुख्य लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को वर्णित आलोक में सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि जिन शिक्षण संस्थान की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गयी है, जहाँ से विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन नहीं भरा जाना है, वैसे शिक्षण संस्थान की अद्यतन सूची उप निदेशक, आईटी0 (उ०मा०)/सिस्टम एनालिस्ट, आईटी0 (उ०मा०) को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथ ही राज्य में चिन्हित जिन शिक्षण संस्थानों से व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाना है, वैसे शिक्षण संस्थानों एवं उसमें इन विषय/विषयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की निर्धारित संख्यात्मक विवरणी की सूची भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।
7. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
8. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, निदेशक, आईटी0 तथा परीक्षा नियंत्रक (मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

25.8.26
परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
25/8/26